Government of Andhra Pradesh in case they arc interested in adopting the software packages used in Andhra Pradesh.

Fifth Central Pay Commission's recommendations for Medical and Travel facilities for Pensioners

1036. SHRI SHIV CIIARAN SINGH:
SHRI PARAG CHALIHA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state the details of recommendations made by Fifth Central Pay Commission for the Pensioners' medical and travel facilities which have been accepted by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): The Fifth Pay Commission's recommendation that pensioners residing in an area not covered by Central Government Health Scheme should be given a fixed amount of medical allowances @ Rs. 100/- per month for meeting the expenditure on day to day medical expenses that do not require hospitalisation has been accepted.

The issue of extension of CS(MA) Rules, 1944 to the Central Government Pensioners residing in the areas not covered by the Central Government Health Scheme is being examined by the Government.

In so far as extension of travel concession to pensioners is concerned, it may be stated that the Fifth Central Pay Commission in para 140.27 of its Report have rejected the demands for extending travel concessions to pensioners.

दक्षिणी दिल्ली की सरकारी कालोनियों की रेजीडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के चुनाव

1037. **श्री रामजीलालः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी दिल्ली में स्थित सरकारी कालोनियों कार्यरत कतिपय रेजीडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के चुनाव इस वर्ष नहीं हुए है तथा पूर्व एसोसिएशनों के पदाधिकारियों द्वारा सरकार को गलत सूचना दी गई है कि वे पुनः चुन लिए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है,

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त एसोसिएशनों द्वारा पूर्व में एकत्रित किए गए धन आदि का ब्यौरा भी नहीं भेजा गया है,

(घ) यदि हां, तो धोखाधड़ी करने बाले व्यक्तियों के विरूद्व अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है, और

(ड) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन): (क) और (ख) विभिन्न रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के पदाधिकारियों का चुनाव, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर, संबंधित एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा किया जाता है। रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन का चुनाव न कराए जाने के संबंध में एक शिकायत मिली है जबकि पदाधिकारियों ने दावा किया है कि 1997-99 के ब्लाक वर्ष के चुनाव करवाए जा चुके हैं।

(ग) से (ङ) पंजीकृत एसोसिएशन द्वारा सहायता अनुदान जारी करने के प्रस्ताव सहित सम्पूर्ण लेखों के ब्यौरे (इसमें एसोसिएशन के सदस्यों से अशदान इत्यदि के तौर पर इकटठे किए गए फण्ड भी शामिल है) भेजे जाते हैं जिन्हें पूर्व वर्ष के लेखों के जांच के पश्चात ही मंजूरी दी जाती है। चालू वर्ष के लिए सहायता अनुदान राशि जारी किए जाने के एसोसिएशनों के प्रस्ताव अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। तथापि, किसी एसोसिएशन/सदस्य के विरूद्व कार्रवाई किए जाने का कोई कारण उत्पनन नहीं हुआ है।

Drawal of Pension by State Government Employees

1038. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the retired employees of State Governments of West Bengal, Orissa etc. arc required to draw their pensions from Nationalised Banks/ Treasuries within the respective states;

(b) whether Government are aware that it causes a lot of difficulties to the old and infirm pensioners who are settled outside these States;

(c) if so, whether Government propose to advise the State Governments to allow such pensioners to draw their pensions from the nationalised banks where they arc settled after retirement as is the case with the Central Government pensioners; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) to (d) Under the provisions of the Constitution of India, the state pensions are the concern of the respective State Governments. Therefore, the information as asked for is not available with the Central Government.

संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में विशेषज्ञ समिति

1039. **श्री ईश दत्त यादवः**

श्री नागमणिः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं में उत्तर देने की विकल्प दिये जाने के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(ख) यदी हां, तो इसका गठन कब हुआ और इस समिति के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन): (क) और (ख) सिविल सेवा परीक्षा योजना की पुनरीक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में पहले गठित विशेषज्ञ समिति को, दिनांक 22 मई, 1989 को अन्य बातों के साथ-साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं को परिक्षाओं के माध्यम के रूप में लागू करने के मुद्दे की जांच करने के लिए, भी कहा गया था। विशेषज्ञ समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थेः-

डा. सतीश चन्द्र	अध्यक्ष
श्री टी. आर. सतीश चन्द्रन	सदस्य
श्री एस. एन. माथुर	सदस्य
डा. के. वेंकटरमैया	सदस्य
डा. फ्रांसिस ए. मेनेजिस	सदस्य
श्री सी. एस. स्वामीनाथन	सदस्य
श्री डी. पी. बागची	सदस्य
श्री डी. बासु	सदस्य सचिव

समिति ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परिक्षाओं में विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम के रूप में लागू करने संबंधी सिफारिशें कीं।

Empanclmcnt of Women IAS and IPS Officers

1040. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of women IAS and IPS officers in the 1965 and 1966 batches;

(b) whether it is a fact that adequate cmpanelmcnt of women officers has not been done in these services; and

(c) the details of the steps proposed to be taken to improve their promotional and empanelmcnt prospects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) There arc 7 women IAS officers of the 1965 batch and 1; women IAS officers of the 1966 batch. There is no lady IPS officer of the 1965 batch and the 1966 batch of the Indian Police Service.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise in the view of answer to (b) above.